राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्
भारत सरकार

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 24 मार्च, 2011

1. दिनांक 24 मार्च, 2011 को 2 मोती लाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की ग्यारहवीं बैठक की अध्यक्षता की।

2. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में प्रो0 एम.एस.स्वामीनाथन, संसद सदस्य, डॉ.राम दयाल मुण्डा, संसद सदस्य, प्रो0 नरेन्द्र जाधव, प्रो0 प्रमोद टण्डन, डॉ. जीन ड्रेजे, श्री माधव गाडगिल, सुश्री अरुणा रॉय, सुश्री अनु आगा, डॉ.ए.के. शिव कुमार, श्री दीप जोशी, सुश्री फराह नक़वी, श्री हर्ष मंदेर और सुश्री मीरई चटर्जी शामिल थे।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कार्य-समूह के संयोजक श्री हर्ष मंदेर ने विधेयक का मसौदा तैयार करने में हुई प्रगति के बारे में सदस्यों को जानकारी दी। इस विधेयक का मसौदा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

4. दिनांक 21 जनवरी, 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में सामाजिक समावेशन के मुद्दे के संबंध में भारत सरकार को आबादी को "प्राथमिकता" और "सामान्य" परिवारों की श्रेणी में बांटने के मानदंडों के बारे में बताएगी। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में अत्यधित असुरक्षित समूहों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का उपबंध होगा। ये समूह अगस्त, 2009 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपी गई सक्सेना समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का भी हिस्सा हैं। इस सबंध में यह भी सहमति हुई कि इन श्रेणियों को शामिल करने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में "प्राथमिकता समूहों" की पहचान करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की आज की बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजी अपनी पूर्व सिफारिशों पर जोर दे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यगण बीपीएल सर्वेक्षण के तरीके के

संबंध में जानकारी देंगे ताकि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की सिफारिशों को अमल में लाया जा सके।

5. साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक पर कार्य-समूह की संयोजक सुश्री फराह नकवी ने विधेयक का मसौदा तैयार करने में हुई प्रगति से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् को अवगत कराया। यह कार्य प्रगति पर है। मसौदा विधेयक को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की अगली बैठक में रखे जाने की संभावना है और तदुपरांत इसे टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।

6. पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन पर कार्य-समूह की संयोजक सुश्री अरुणा रॉय ने परिषद् को सूचित किया कि कार्य-समूह ने नागरिक समाज के सदस्यों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ कई दौर की बैठक के बाद अपनी सिफारिशें तैयार कीं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने सभी मुद्दों पर सहमति जताई। लेकिन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के इस प्रस्तावित संशोधन पर सहमति नहीं बनी कि सूचना का अधिकार के तहत सभी आवेदन-पत्रों को "केवल एक विषय" तक सीमित रखा जाए। जिन अन्य बातों पर सहमति बनी उनमें शब्दों की सीमा 250 से 500 तक बढ़ाना और आवेदक की मृत्यु हो जाने पर सूचना का अधिकार आवेदन-पत्र समाप्त करने संबंधी नियमों को हटाना शामिल हैं। सूचना का अधिकार के तहत सभी आवेदन-पत्रों को "केवल एक विषय" तक सीमित रखने के संबंध में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने यह सिफारिश करने का निर्णय लिया कि "केवल एक विषय" तक के प्रतिबंध को सूचना का अधिकार नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों के दायरे से हटा दिया जाए। इस संबंध में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की अंतिम सिफारिशें निम्नानुसार हैं—

"*किन्तु सूचना हेतु अनुरोध समान्यतौर पर 500 शब्दों से अधिक नहीं होगा जिसमें परिशिष्ट, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का पता और आवेदक का पता शामिल नहीं होगा। यह भी कि कोई भी आवेदन उपर्युक्त आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा।* "

7. भूमि अर्जन और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना पर कार्य-समूह के संयोजक श्री हर्ष मंदेर ने इस विषय पर प्रस्तावित विधेयकों से जुड़े लंबित मुद्दों पर एक प्रस्तुति

दी। संयोजक ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति पर 2006 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा दिए गए व्यापक सुझावों का भी स्मरण दिलाया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् इस बात पर सहमत थी कि कार्य-समूह द्वारा एक परामर्श नोट तैयार किया जाएगा और उसे परिषद् के समक्ष रखा जाएगा।

8. समेकित बाल विकास योजना में सुधार, घरेलू कामगारों के मुद्दे, विमुक्त जनजातियों, शहरी गरीबी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही – लोकपाल विधेयक के संबंध में तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मुद्दों से संबंधित -, जनजाति विकास – पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम के संबंध में -, वर्षा-सिंचित क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्राकृतिक संसाधन प्रबंध से जोड़ने पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के कार्य-समूहों के संयोजकों ने अपने-अपने कार्य-समूह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

9. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की आगामी बैठक 28 अप्रैल, 2011 को निर्धारित की गई है।